दिनांक 16/03/2021

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 16 ग 2 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी प्रस्तुत कर वाद में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर मौके की स्थिति के बाबत कमीशन रिपोर्ट मंगाये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर मौके की स्थिति के संबंध में आख्या मंगाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है , जो वाद के सम्यक निस्तारण के लिये आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र 16 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थना पत्र 16 ग 2 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी करें। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह कमीशन सूची के अगले क्रम में अधिवक्ता आयुक्त का नाम मंगाकर नियमानुसार रिट जारी करें। अधिवक्ता आयुक्त मौके की स्थिति के सम्बंध में अपनी आख्या दिनाँक 16/04/2021 तक प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर
कानपुर देहात